FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

श्रीमती किस्तुरी देवी बनाम आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

किस्म मुकदमा/प्रार्थना पत्र/बाजदायरी/नं0/2022/**262** जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 : श्री लेखू मंघानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2022	पत्रावली पेश हुई। यह बाजदायरी प्रार्थना–पत्र मूल अपील संख्या 2019/00205 बउनवान श्रीमती किस्तुरी देवी बनाम आयुक्त, नगरपरिषद किशनगढ में निर्णय दिनांक 28.02.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री लेखू मंघानी द्वारा दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक को एक तरफा सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अपीलान्ट अभिभाषक की बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। न्यायहित मे अपीलान्ट का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल अपील 2019/00205 बउनवान श्रीमती किस्तुरी देवी बनाम आयुक्त, नगरपरिषद किशनगढ पुनः नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner